संयुक्त राज्य अमेरिका का श्रम विभाग
बालश्रम के सबसे बुरे रूपों के बारे में 2020 के निष्कर्ष

भारत

2020 में, भारत ने बालश्रम के सबसे बुरे रूपों के उन्मूलन के प्रयास में संयत प्रगति की। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, राष्ट्रीय सरकार ने मानव तस्करी विरोधी इकाइयों का 332 ज़िलों से बढ़ाकर सभी 732 ज़िलों तक विस्तार करने के लिए वित्त-पोषण के रूप में 13 करोड़ 50 लाख डॉलर की धनराशि वितरित की, तथा मौजूदा इकाइयों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण तथा संसाधन उपलब्ध कराए। मार्च 2020 में, कर्नाटक सरकार ने सभ्य समाज संगठनों की सहभागिता में मानव तस्करी के बारे में व्यापक परिचालन प्रक्रियाएं जारी कीं। इन मानक परिचालन प्रक्रियाओं में यौन तस्करी, बच्चों द्वारा भीख मांगना, बालश्रम, और बन्धुआ श्रम सभी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सितंबर 2020 में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता, जिसमें 14-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कार्यस्थल सुरक्षा मानक शामिल हैं, पारित की गई। । लेकिन फिर भी, भारत में बच्चों को बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों का शिकार बनना पड़ता है जिसमें वस्त्र-उत्पादन, पत्थर उत्खनन और ईंट बनाने के धंधे शामिल हैं। बच्चे धागा और सूत उत्पादन में भी ख़तरनाक काम करते हैं। भारत ग़ैर-राज्यीय सशस्त्र ग्रुपों द्वारा सैनिक भर्ती निषेध के अंतरराष्ट्रीय मानक पर भी खरा नहीं उतरता। अनुसंधान से पता चला है कि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कोई भी अवैध शरण-गृह बंद नहीं किए गए। अनुसंधान से यह भी पता चला कि अवैध शरण-गृहों के संचालन में सहायता करने में उलझाव रखने वाले सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह नहीं ठहराया गया-- 2020 में सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला शुरू नहीं किया गया। जोखिमपूर्ण कार्य निषेध में वे सभी व्यवसाय शामिल नहीं हैं जिनमें बच्चे असुरक्षित तथा अस्वास्थ्यकर वातावरण में लंबी अवधियों तक काम करते हैं, और बच्चों को काम पर रखने की सजाएँ इतनी पर्याप्त नहीं हैं कि भय दिखाकर उल्लंघनों को रोक सकें। सरकार ने अपने श्रम क़ानून प्रवर्तन और आपराधिक क़ानून प्रवर्तन प्रयास के बारे में सूचना भी सार्वजनिक तौर पर जारी नहीं की।

बालश्रम समाप्त करने के लिए सुझाई गई सरकारी कार्यवाहियां

रिपोर्टिंग के आधार पर, सुझाई गई कार्यवाहियां चिह्नित की गई हैं जो भारत में बाल श्रम उन्मूलन को बढ़ावा देंगी।

बाल श्रम उन्मूलन के लिए सुझाई गई सरकारी कार्यवाहियां		
क्षेत्र	**सुझाई गई कार्यवाही**	**सुझाव का/के वर्ष**
क़ानूनी ढांचा	काम के लिए न्यूनतम आयु उस आयु तक बढ़ाई जाए जब तक शिक्षा अनिवार्य है।	2018 – 2020
	यह सुनिश्चित किया जाए कि18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जिन क़िस्मों के जोखिमपूर्ण कामों पर निषेध है वे व्यापक हों, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ बच्चे असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में लंबी अवधि तक काम करते हैं, जैसेकि कताई मिलें, वस्त्र-उत्पादन, कालीन निर्माण, और घरेलू काम।	2016 – 2020

	यह सुनिश्चित किया जाए कि क़ानून गैर-राज्यीय सशस्त्र दलों द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की भर्ती पर आपराधिक निषेध लागू करे।	2016 – 2020
	वह क़ानूनी दस्तावेज़ प्रकाशित किया जाए जो भारत की सशस्त्र सेना में स्वैच्छिक भर्ती के लिए न्यूनतम आयु स्थापित करता है।	2018 – 2020
प्रवर्तन	सुनिश्चित किया जाए कि वंचित समुदायों के उन बच्चों के बारे में आपराधिक क़ानून प्रवर्तन में कोई अंतर न हो जिनकी व्यापारिक यौनशोषण में तस्करी की जाती है, और सुनिश्चित किया जाए कि मानव तस्करी पीड़ितों की समुचित जांच के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हों ताकि उन पर ऐसे अपराधों के लिए मुक़दमे न चलाए जाएं जिनके लिए उनके तस्करों ने उन्हें बाध्य किया था।	2020
	सुनिश्चित किया जाए कि मानव तस्करी विरोधी ईकाइयों के पास अपना काम ठीक तरह से संपन्न करने के लिए पर्याप्त निधियन और मानव संसाधन उपलब्ध हैं।	2019 – 2020
	श्रम क़ानून प्रवर्तन के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े एकत्र और प्रकाशित किए जाएं जिनमें श्रम- निरीक्षणालय के लिए निधियन का आंकड़ा, श्रम-निरीक्षकों की संख्या, किए गए निरीक्षणों की संख्या और क़िस्म, यह संख्या कि कितने बाल-श्रम उल्लंघन पाए गए, और उन बाल-श्रम उल्लंघनों की संख्या शामिल हो जिनके लिए जुर्माने लगाए और वसूल किए गए।	2014 – 2020
	सभी राज्य सरकारों से आपराधिक तहक़ीक़ात-कर्ताओं के प्रशिक्षणों, आपराधिक तहक़ीक़ातों की संख्या, पाए गये उल्लंघनों की संख्या, शुरू किए गए मुक़दमों की संख्या, और दोषी ठहराए जाने की संख्या के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े एकत्र तथा प्रकाशित किए जाएं। सुनिश्चित किया जाए कि बाल-श्रम के सबसे बुरे रूपों से संबद्ध उल्लंघनों के लिए दंड लागू किए जाते हैं, और यह कि आपराधिक अधिकारियों तथा सामाजिक सेवाओं के बीच एक-दूसरे को सूचित करने का पारस्परिक तंत्र मौजूद है।	2009 – 2020
	सुनिश्चित किया जाए कि भारत में श्रम निरीक्षकों की संख्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई-एल-ओ) के तकनीकी मार्गदर्शन के अनुरुप है।	2020
	सुनिश्चित किया जाए कि श्रम तथा आपराधिक क़ानून निरीक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त हो, कि पर्याप्त संख्या में श्रम निरीक्षण किए जाएं, कि उन सभी क्षेत्रों में नियमित रूप से श्रम निरीक्षण किए जाएं जहाँ बाल-श्रम होता है, और कि शिकायतों पर कार्यवाही संबंधी तंत्र समय की दृष्टि से कार्यकुशल हो।	2019-2020
	वर्जित बाल श्रम में बच्चों को काम पर रखने के लिए अर्थपूर्ण दंड निर्मित किए जाएं जो उल्लंघनों को रोकने के लिये पर्याप्त भय पैदा कर सकें।	2014 – 2020
	सुनिश्चित किया जाए कि जो सार्वजनिक अधिकारी बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों को सुविधाजनक बनाते हैं या उनमें भाग लेते हैं उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाए, जिनमें वे अधिकारी भी शामिल हो जो क़ानून से सुरक्षा प्रदान करने के लिए रिश्वत लेते हैं।	2018 – 2020
	सुनिश्चित किया जाए कि अदालतों में पीड़ित संरक्षण उपाय लागू किए जाएं, और यह भी सुनिश्चित करें कि यौन अपराधों से बच्चों की रक्षा करने वाले क़ानून की अदालतों में जजों और अभियोक्ताओं को बच्चों के व्यापारिक यौन शोषण से संबद्ध अपराधों के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण अथवा विशेषज्ञता प्राप्त है।	2020
	ऐसी मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को पूरी तरह लागू करें जो बच्चों सहित, बंधुआ-श्रम से मुक्त कराए गए पीड़ितों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती हैं, और सुनिश्चित करें कि	2018 – 2020

	बंधुआ-श्रम के मामलों पर तेज़ गति से काम किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो कि पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्राप्त हो तथा सामयिक ढंग से रिहाई प्रमाणपत्र जारी किए जाएं।	
	सरकार संचालित, सरकार द्वारा निधिकृत आश्रय-गृहों में संदिग्ध दुरुपयोगों और दुराचरण की तहक़ीक़ात की जाए, तथा सभी सरकार संचालित, सरकार निधिकृत आश्रय-गृहों के सरकारी पंजीकरण को प्राथमिकता दें ताकि सरकारी निगरानी सुनिश्चित हो। सुनिश्चित करें कि आश्रय-गृहों में पूरा स्टाफ काम पर लगा हो, तथा वे दुराचारों से मुक्त हों जिसमें बच्चों का व्यापारिक यौन शोषण तथा जबरन-श्रम शामिल है।	2018-2020
	सुनिश्चित किया जाए कि सभी राज्य सरकारें सरकार-संचालित, सरकार-निधिकृत सभी आश्रय गृहों के लेखा परीक्षण करें जैसाकि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है।	2019-2020
	सुनिश्चित करें कि क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास ऐसे पर्याप्त तकनीकी और वित्तीय संसाधन मौजूद हैं कि वे तस्करों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकी उपकरणों से निपट सकें।	2020
सरकारी नीतियां	उन राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करें जहाँ फ़िलहाल बाल श्रम उन्मूलन के लिये राज्य कार्यवाही योजनाएं नहीं है ताकि ऐसी योजनाएं स्थापित की जाएं।	2011 – 2020
	राष्ट्रीय कार्यवाही योजना और राज्य कार्यवाही योजनाओं को लागू करने के लिए रिपोर्टिंग अवधि के दौरान जो गतिविधियाँ हाथ में ली गईं उनके बारे में सूचना प्रकाशित करें।	2018 – 2020
	मानव तस्करी से जूझने और पीड़ितों को सहारा देने के लिए एक राष्ट्रीय नीति का अनुमोदन किया जाए और उसे लागू किया जाए।	2019-2020
सामाजिक कार्यक्रम	दूरस्थ शिक्षा संपत्तियों को समर्पित पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करके तथा उन शिक्षा अधिकारियों को दंडित करके जो बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षा तक पहुँच न्याय-संगत तथा व्यापक हो। साथ ही, शिक्षा के प्रति बाधाओं को, विशेष रूप से शरणार्थी बच्चों तथा वंचित समुदायों के बच्चों के लिए बाधाओं को कम किया जाए और यह काम अध्यापकों को पर्याप्त प्रशिक्षण देकर, लड़कियों के लिए अलग और साफ़ सुथरे ग़ुसलख़ाने उपलब्ध कराके, तथा उपलब्ध स्कूलों की संख्या बढ़ाकर किया जा सकता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ अपर्याप्त आधारिक संरचना तथा परिवहन विकल्प शिक्षा तक पहुँच को सीमित करते हैं।	2014-2020
	सुनिश्चित करें कि शोषणकारी बाल श्रम के बारे में एकत्रित आंकड़े, जानकारी, और प्रकाशन, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हों, जिनमें ज़िला स्तर पर बंधुआ श्रम सर्वेक्षणों से मिली जानकारी तथा राष्ट्रीय जनगणना से प्राप्त कच्चे आंकड़े शामिल हैं।	2009 – 2020